उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-186/2016/आर-5275/26-3-2016-35(रिट)/2016

लखनऊः दिनांकः 20 अक्टूबर 2016

कार्यालय ज्ञाप

श्रीमती इजलासी देवी पत्नी श्री रामप्यारे, निवासी-मुहल्ला-इस्लामनगर, नगर पंचायत मगहर, सन्तकबीरनगर द्वारा अनुसूचित जाति 'चमार' का प्रमाण पत्र संख्या-56212401026, दिनांक-07-06-2012 प्राप्त कर नगर पंचायत मगहर, जनपद-सन्तकबीरनगर में सभासद का चुनाव लड़कर विजय प्राप्त की गयी।

2- श्रीमती इजलासी देवी की विपक्षी श्रीमती संतोष देवी, नगर पंचायत, मगहर, सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक-08-10-2012 को जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर के समक्ष इस आशय का शिकायती पत्र प्रस्तुत किया गया कि नगर पंचायत चुनाव, मगहर में वार्ड संख्या-2 की विजयी प्रत्यासी श्रीमती इजलासी देवी के पक्ष में निर्गत 'चमार' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या-56212401026, दिनांक-07-06-2012 त्रुटिपूर्ण है अतएव उनके निर्वाचन को निरस्त करते हुये द्वितीय वरीयता के कारण उन्हें (संतोष देवी) निर्वाचित घोषित किया जाय।

3- जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर द्वारा विपक्षी श्रीमती संतोष देवी के उक्त शिकायती पत्र दिनांक-08-10-2012 का संज्ञान लेते हुये प्रकरण की तहसलीदार, खलीलाबाद, जनपद- सन्तकबीरनगर से जाँच करायी गयी। तहसीलदार, खलीलाबाद ने जांच आख्या दिनांक-12-02-2013 जो जिलाधिकारी को प्रस्तुत की, में यह उल्लेख किया कि राजस्व निरीक्षक, सदर की आख्या दिनांक-18-11-2012 में यह दर्शाया गया है कि श्रीमती इजलासी देवी की शादी पहले ग्राम-टिकरिया, तहसील सहजनवां, जनपद-गोरखपुर में हुई थी जो जाति के 'केवट' अन्य पिछड़े वर्ग के है। श्रीमती इजलासी देवी द्वारा नगर पंचायत, मगहर के मुहल्ला इस्लामनगर में श्री रामप्यारे अनुसूचित जाति 'चमार' के मकान में बतौर पत्नी दिनांक-09-09-2011 को अपना नाम दर्ज करा लिया है। चूंकि उसके माता-पिता अन्य पिछड़े वर्ग में 'केवट' जाति के है ऐसी दशा में श्रीमती इजलासी देवी पत्नी श्री रामप्यारे की जाति भी 'केवट' है। अतएव श्रीमती इजलासी देवी को बना 'चमार' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निरस्त होने योग्य है। राजस्व निरीक्षक की आख्या के आधार पर तहसीलदार-खलीलाबाद द्वारा सम्बन्धित पक्षों को नोटिस निर्गत की गयी थी। उक्त के क्रम में श्रीमती इजलासी देवी पत्नी स्व0 श्री रामप्यारे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-27-11-2012 को आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा विपक्षी/शिकायतकर्ता श्रीमती संतोष देवी ने अपना बयान अंकित कराया गया।

श्रीमती संतोष देवी ने अपने कथन के समर्थन में श्री सुशील कुमार यादव, श्री रामानन्द, श्री रघुपति प्रसाद, श्री रामचन्दर, श्री मूसाकलीन, श्री सुभाष चन्द्र, श्री राधारमण तथा श्री रमेन्द्र कुमार यादव का बयान अंकित कराया गया। इन व्यक्तियों द्वारा अपने बयानों में यह कहा गया कि श्रीमती इजलासी देवी मूलतः ग्राम-टिकरिया, तहसील, सहजनवां जिला-गोरखपुर के निवासी 'मल्लाह' जाति के श्री रामप्यारे पुत्र श्री दुक्खी से व्याही थी। उनसे बिना तलाक लिये नगर पंचायत, मगहर निवासी श्री रामप्यारे 'चमार' अनुसूचित जाति के साथ रहने लगी और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ रहने के कारण अपने पक्ष में गलत तरीके से 'चमार' अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में शिकायतकर्ता श्रीमती संतोष देवी द्वारा श्रीमती इजलासी देवी के पक्ष में जारी जाति प्रमाण पत्र, नगर पंचयात, मगहर से परिवार रजिस्टर की नकल, ग्राम टिकरिया, तहसील सहजनवां के परिवार रजिस्टर की नकल, ग्राम टिकरिया के श्री रामप्यारे पुत्र दुक्खी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। नगर पंचायत, मगहर के परिवार रजिस्टर में श्री रामप्यारे के परिवार की नकल में रामप्यारे को दिनांक-06.08.2011 को मृतक दिखाया गया है। इनकी पूर्व पत्नी श्रीमती चम्पा देवी को भी मृतक दिखाया गया है। श्री रामप्यारे की मृत्यु दिनांक-06.08.2011 के बाद उनकी पूर्व पत्नी श्रीमती चम्पा देवी की मृत्यु की प्रविष्टि है तथा श्रीमती इजलासी देवी की प्रविष्टि बतौर श्री रामप्यारे की पत्नी दिनांक-09.09.2011 को दर्ज किया जाना पाया गया।

ग्राम-टिकरिया तहसील, सहजनवा, गोरखपुर के परिवार रजिस्टर में वहाँ के निवासी श्री रामप्यारे के परिवार में श्रीमती इजलासी देवी का नाम उनकी पत्नी के रूप में अंकित पाया गया। श्री रामप्यारे पुत्र श्री दुक्खी 'मल्लाह' ग्राम-टिकरिया तहसील, सहजनवां जिला गोरखपुर ने दिनांक-14.08.2012 को शपथ पत्र दिया कि वह अन्य पिछड़ी वर्ग की 'मल्लाह' जाति के है। इनका विवाह हिन्दू रीति रिवाज से श्रीमती इजलासी देवी पुत्री स्व0 पृथ्वी ग्राम-माडर तहसील, सहजनवां, जनपद-गोरखपुर से हुआ है और उसने अभी तक श्रीमती इजलासी देवी को तलाक नही दिया है। वह रोजी-रोटी के सिलसिले में लखनऊ में मजदूरी करता है।

श्रीमती इजलासी देवी द्वारा दिनांक-27.11.2012 को अधिवक्ता के जरिये शपथ पत्र सहित आपत्ति प्रस्तुत की गयी तथा नकल परिवार रजिस्टर, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, मतदाता सूची, किसान बही, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व चित्र संग्रह भी प्रस्तुत किया गया और अतिरिक्त साक्ष्य हेतु दिनांक-03.12.2012 की तिथि भी जनपद स्तरीय समिति से ली गयी।

श्रीमती इजलासी देवी द्वारा उपलब्ध करायी गयी परिवार रजिस्टर की नकल भी वही है जो शिकायतकर्ता श्रीमती संतोष देवी द्वारा जनपद-स्तरीय कमेटी को उपलब्ध करायी गयी थी। उक्त के अतिरिक्त अन्य उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों में श्रीमती इजलासी देवी पत्नी श्री रामप्यारे की ही प्रविष्टि अंकित है। चित्रों में श्री रामप्यारे की मृत्यु के समय का तथा कुछ अन्य अफसरों के साथ का चित्र है। उन्होनें अपने शपथ पत्र से सम्बन्धित आपत्ति में कहा है कि उनका विवाह लगभग 50 वर्ष पूर्व श्री रामप्यारे के साथ हुआ और तब से वह उनके साथ रहती चली आ रही है। पति की मृत्यु के बाद उसे पारिवारिक पेंशन प्राप्त होती है तथा चुनाव में पराजित श्रीमती संतोष देवी द्वारा उनके विरूद्ध शिकायत की गयी है। यह भी कहा गया है कि उसका नाम विगत 50 वर्षों से परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड आदि में श्री रामप्यारे के पत्नी के रूप में अंकित है। अनुसूचित जाति का पाये जाने पर ही उसके पक्ष में 'चमार' जाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ था। चुनाव के समय उनकी प्रत्याशिता पर श्रीमती संतोष देवी द्वारा कोई आपत्ति नही की गयी थी। दिनांक-03.12.2012 को इजलासी देवी की तरफ से रामप्रति, लक्षिमना, दुलारी, रूकमणी, रामदेव, बनपत, अकबर, अली, छेदी, मुराती देवी, सोनबरसी, मेंहदी हसन, कलामदुद्दीन खान ने अपना बयान दिया गया जिसमें इन लोगो के द्वारा यह कहा गया कि श्रीमती इजलासी देवी की शादी पचासों वर्ष पूर्व श्री रामप्यारे से हुई थी। जो 'चमार' अनुसूचित जाति के है। बयान में इन व्यक्तियों के द्वारा यह भी कहा गया कि श्रीमती इजलासी के मायके की जानकारी उनको नही है।

श्री रामप्यारे के पट्टीदार श्री मुराली ने अपने बयान में कहा है कि श्री रामप्यारे ने श्रीमती इजलासी देवी से शादी किया था। श्री रामप्यारे की पूर्व में जो शादी हुई थी वह पत्नी सूर थी इनके रहते हुये इन्होने श्रीमती इजलासी से शादी किया था और श्री रामप्यारे जाति के चमार है। एक अन्य पट्टीदार श्री सुभाष चन्द्र ने बयान दिया है कि जबसे वे होशदार हुये तबसे श्रीमती इजलासी देवी का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

अपने चाचा श्री रामप्यारे की पत्नी के रूप में देख रहे है। श्री खेदूराम के बयान से सहमत होते हुये सदर आलम खाँ, हमीदुल्लाह, राम सुभग, महताब, रामप्यारे, विजय राहुल कुमार, प्रदीप कुमार आदि ने कहा कि लगभग 40-45 वर्ष पूर्व से शादी के बाद श्री रामप्यारे तथा श्रीमती इजलासी देवी पति-पत्नी के रूप में रह रहें थे। श्री रामप्यारे 'चमार' अनुसूचित जाति के थे। श्रीमती इजलासी देवी के मायके के बारे में उन्हें कोई जानकारी नही है। श्रीमती इजलासी देवी ने श्री अश्विनी कुमार गुप्ता, अध्यक्ष नगर पंचायत अवधेश कुमार सिंह, राजेश वर्मा लालचन्द्र यादव, मु0 शाहिद परवेज व मुख्तार अहमद द्वारा समर्थित अपने बयान में कहा है कि उनका विवाह 40-45 वर्ष पूर्व श्री रामप्यारे जो कि अनुसूचित जाति के 'चमार' है, से हुआ था उनका कहना है कि इनके माता-पिता होश के पहले ही मर गये थे उनके बारे में कोई जानकारी नही थी। एक छोटा भाई हनुमान था, वह भी मर चुका है। मायके में उनका कोई नही है तथा मायका कहाँ है यह भी उन्हें मालूम नही है। दिनांक-27.01.2012 तथा दिनांक-03.12.2012 को श्रीमती इजलासी देवी की तरफ से अपनी आपत्ति अथवा साक्ष्य में शिकायतकर्ता श्रीमती संतोष देवी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में ग्राम-टिकरिया, तहसील सहजनवां के परिवार रजिस्टर की नकल, श्री रामप्यारे मल्लाह ग्राम-टिकरिया के शपथ पत्र एवं अन्य साक्ष्यों के विरूद्ध कोई भी प्रतिकाट्य प्रस्तुत नही किया गया और न ही किसी बयान में इन साक्ष्यों को झूठा बताया गया।

दिनांक-03.12.2012 को शिकायतकर्ता श्रीमती संतोष देवी द्वारा ग्राम-माडर, तहसील, सहजनवा, जनपद-गोरखपुर के परिवार की नकल तथा ग्राम प्रधान का पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम प्रधान-माडर ने लिखा है कि श्रीमती इजलासी देवी पुत्री पृथ्वी मूलतः ग्राम-माडर ब्लाक पाली, तहसील सहजनवा, गोरखपुर की निवासी थी। इस ग्राम के परिवार रजिस्टर में भी श्रीमती इजलासी देवी पृथ्वी का नाम अंकित है तथा विवरण में अपने घर गई की प्राविष्टि अंकित पायी गयी।

4- तहसीलदार खलीलाबाद की उक्त जाँच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण के निस्तारण हेतु जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा दिनांक-02.05.2013 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में सम्बन्धित पक्षों को दिनांक-25.04.2013 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तत्क्रम में शिकायतकर्ता श्रीमती संतोष देवी की ओर से दिनांक-25.04.2013 को उनके अधिवक्ता की बहस सुनी गई तथा साक्ष्यों का भी अवलोकन जनपदीय कमेटी द्वारा किया गया। दूसरा पक्ष श्रीमती इजलासी देवी की ओर से दिनांक-25.04.2013 को उनके पुत्र श्रीप्रकाश ने यह कहा कि श्रीमती इजलासी देवी अस्वस्थ है। अतः उसे कोई अगली तारीख दी जाय। उक्त के दृष्टिगत जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा पुनः दोनो पक्षों को दिनांक-26.04.2013 को सुनवाई हेतु तारीख निश्चित की गयी। सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक-26.04.2013 को श्रीमती इजलासी देवी जनपदीय कमेटी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया। जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा दोनो पक्षों के अधिवक्ताओं की भी पुनः बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। श्री रामप्यारे पुत्र श्री दुक्खी आयु 70 वर्ष ग्राम-टिकरिया तहसील, सहजनवां, गोरखपुर ने इस आशय का शपथ पत्र दिया गया कि वह अन्य पिछड़े वर्ग की 'मल्लाह' जाति के है और उसकी शादी हिन्दू रीति रिवाज के साथ श्रीमती इजलासी देवी पुत्र पृथ्वी निवासिनी, ग्राम-माडर तहसील, सहजनवां जिला गोरखपुर के साथ हुई थी और उनका श्रीमती इजलासी देवी पुत्री श्री पृथ्वी से अभी तक तलाक नही हुआ है।

जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी ने तहसीलदार, खलीलाबाद की जाँच रिपोर्ट, अभिलेखीय साक्ष्यों एवं उभयपक्षो द्वारा अपने-अपने समर्थन में प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो/बयानों के विश्लेषण में यह पाया गया कि श्रीमती इजलासी देवी, ग्राम-माडर ब्लाक, पाली, तहसील सहजनवां जिला गोरखपुर के निवासी श्री पृथ्वी की पुत्री है। पृथ्वी अन्य पिछड़े वर्ग की 'मल्लाह' जाति के है। जाति 'मल्लाह' होने पर ही

Ramesh-UO

हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार श्रीमती इजलासी देवी की शादी श्री रामप्यारे पुत्र श्री दुक्खी जाति 'मल्लाह' साकिन-टिकरिया, तहसील, सहजनवां जिला गोरखपुर से हुई। इस प्रकार श्रीमती इजलासी देवी पत्नी श्री रामप्यारे जाति 'मल्लाह' निवासी ग्राम टिकरिया तहसील-सहजनवा जिला गोरखपुर की विवाहित पत्नी है तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 'मल्लाह' जाति की है। श्री रामप्यारे पुत्र श्री दुक्खी मल्लाह द्वारा न्यायालय या किसी अन्य तरीके से विवाह विच्छेद अभी नही हुआ है। इस कारण श्रीमती इजलासी देवी, श्री रामप्यारे मल्लाह की विवाहित पत्नी है। श्रीमती इजलासी देवी द्वारा नगर पंचायत, मगहर, सन्तकबीरनगर के निवासी श्री रामप्यारे अनुसूचित जाति 'चमार' के साथ रहना व उसको अपना पति बताकर येन-केन प्रकारेण अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना विधि विरूद्ध है क्योकि श्रीमती इजलासी देवी की शादी श्री रामप्यारे जाति चमार निवासी ग्राम मगहर के साथ सिद्ध नही पायी गयी है। इस तरह श्रीमती इजलासी देवी कदापि 'चमार' अनुसूचित जाति में नही आती है क्योकि महिला के जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर ही होता है। अतएव श्रीमती इजलासी देवी के पक्ष में निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र संख्या-56212401026, दिनांक-07.06.2012 विधिक नही होने के कारण जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी द्वारा निरस्त कर दिया गया।

5- जनपद स्तरीय स्कुटनी कमेटी के उक्त निर्णय दिनांक-02.05.2013 के विरूद्ध सम्प्रति श्रीमती इजलासी देवी द्वारा राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी के समक्ष अपील दिनांक-28.06.2013 प्रस्तुत की गयी थी। इसी मध्य विपक्षी श्रीमती संतोष देवी द्वारा मा0उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-58466/2013 श्रीमती संतोष देवी बनाम उ0प्र0 राज्य व 06 अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-06.09.2016 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है:-

From the short counter affidavit filed by respondent no. 7, it is apparent that the matter in respect of the cancellation of her caste certificate is engaging attention of the State Level Committee of which Principal Secretary, Social Welfare, U.P. Government is the Chairman.

In the facts of the case, we direct that the said Secretary shall consider and decide the appeal filed by respondent no. 7 namely Ijlasi Devi preferably within a period of four weeks from the date of submission of certified copy of this order before him.

The order so passed by the Secretary shall be brought on record by means of an affidavit by the next date fixed i.e. 17th October, 2016. List on 17th October, 2016.

Order Date :- 6.9.2016

6- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-06.09.2016 के कम में याची श्रीमती संतोष देवी द्वारा अपना प्रत्यावेदन दिनांक-29.09.2016 राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करते हुये प्रकरण को शीघ्र निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया गया। उक्त के कम में प्रकरण पर विचार किये जाने हेतु राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी की बैठक दिनांक-20.10.2016 को निर्धारित करते हुये शासन के पत्र दिनांक-17.10.2016 द्वारा पक्ष एवं विपक्ष को नोटिस निर्गत करते हुये सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। राज्य स्तरीय स्कुटनी कमेटी की सुनवाई में जिला प्रशासन की ओर से श्री अरविन्द कुमार सिंह, तहसीलदार, राजस्व खलीलाबाद उपस्थित होकर तथ्यात्मक स्थिति समिति के समक्ष रखी गयी। पक्ष एवं विपक्ष की ओर से कोई व्यक्ति/पैरोकार समिति के समक्ष उपस्थित नही हुये जबकि राज्य स्तरीय स्कुटनी की बैठक आहूत की सूचना/नोटिस जिला प्रशासन द्वारा सम्बन्धित पक्षो (श्रीमती संतोष देवी एवं श्रीमती इजलासी देवी) को तामील करायी गयी थी।

7- प्रकरण में उपलब्ध करायी गयी आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के सम्यक् परिशीलनोपरान्त यह पाया गया कि श्रीमती इजलासी देवी पत्नी श्री रामप्यारे जाति 'मल्लाह' निवासी ग्राम टिकरिया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

तहसील-सहजनवा जिला गोरखपुर की विवाहित पत्नी है तथा अन्य पिछड़े वर्ग की 'मल्लाह' जाति की है। श्रीमती इजलासी देवी का उनके पहले पति श्री रामप्यारे पुत्र श्री दुक्खी मल्लाह से न्यायालय या किसी अन्य तरीके से विवाह विच्छेद नही हुआ है। इस कारण श्रीमती इजलासी देवी, श्री रामप्यारे मल्लाह की विवाहित पत्नी है। श्रीमती इजलासी देवी द्वारा नगर पंचायत, मगहर, सन्तकबीरनगर के निवासी श्री रामप्यारे अनुसूचित जाति 'चमार' के साथ रहना व उसको अपना पति बताकर येन-केन प्रकारेण अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना विधि विरूद्ध है क्योकि श्रीमती इजलासी देवी की शादी श्री रामप्यारे जाति चमार निवासी ग्राम मगहर के साथ सिद्ध नही पायी गयी है। किसी भी व्यक्ति/महिला के जाति का निर्धारण उसके जन्म के आधार पर पिता की जाति से होता है। इस तरह श्रीमती इजलासी देवी 'चमार' अनुसूचित जाति की सदस्य नही हैं।

अतएव राज्य स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि जनपद स्तरीय स्क्रुटनी कमेटी, सन्तकबीरनगर के उक्त निर्णय दिनांक-02-05-2013 में हस्तक्षेप का कोई युक्ति-युक्त अवसर नही है। तदनुसार याची श्रीमती संतोष देवी के प्रत्यावेदन दिनांक-29-09-2016 एवं विपक्षी श्रीमती इजलासी देवी की अपील दिनांक-28-06-2013 को समिति एतद्द्वारा निस्तारित करती है।

सुरेन्द्र विक्रम निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश लखनऊ	केदारनाथ निदेशक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ	मनोज सिंह प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग/अध्यक्ष, राज्य स्तरीय स्क्रूटनी कमेटी उ0प्र0शासन

पृ0संख्या-186/2016/आर-5275(1)/26-3-2016 तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य स्थाई अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को उक्त याचिका संख्या-58466/2013 में पारित आदेश दिनांक-06-09-2016 के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपरोक्त स्थिति से मा0 उच्च न्यायालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

2- जिलाधिकारी, सन्तकबीरनगर/गोरखपुर।

3- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

4- निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ।

5- श्रीमती संतोष देवी, पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद, निवासी-कस्बा व पोस्ट-मगहर, तहसील-खलीलाबाद, जिला सन्तकबीरनगर।

6- श्रीमती इजलासी देवी पत्नी स्व0 रामप्यारे निवासी-कस्बा व पोस्ट मगहर, तहसील-खलीलाबाद, जिला-सन्तकबीरनगर।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in